न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 01 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
आम जनता ग्राम पंचायत रोहिला तहसील सेड़वा जरियेः— 1. पूनमाराम पुत्र सुखराम 2. जगराम पुत्र सुखराम 3. जोराराम पुत्र भागीरथराम 4. राजूराम पुत्र तेजाराम जातियान विश्नोई 5. शंकराराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा 2. तहसीलदार, सेड़वा 3. सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा ने खसरा संख्या 529 / 287 में रकबा 0.3237 हैक्टयेर भूमि ग्राम पंचायत रोहिला के भवन निर्माण व परिसर निमार्ण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 24.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सोनड़ी से नवसृजित ग्राम पंचायत रोहिला का गठन किया गया था। नवसृजित ग्राम पंचायत, रोहिला के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्व में खसरा संख्या 837 / 347 रकबा 0.4047 हैक्टयेर का आवंटन किया जा चुका है। उक्त आराजी ग्राम पंचायत भवन व परिसर निर्माण हेतु निःशुल्क तुलछाराम, पूनमाराम, जगराम पिसरान सुखराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला समर्पण की गई थी जिस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 29. 04.2021 के द्वारा पंचायत भवन हेतु आवंटन हो चुकी है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन पंचायत भवन ग्राम पंचायत रोहिला के नाम से दर्ज है। पूर्व में आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण भी आर सी सी तक किया जा चुका है जिस पर आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सरकारी पानी का टांका बना हुआ है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत की बीचों बीच पड़ती है। ग्राम पंचायत के भवन व परिसर के निर्माण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। ग्राम पंचायत, रोहिला के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 837/347 जो ग्राम पंचायत रोहिला का ह्रदय स्थल है पर न रखकर बहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने में 1.5 किमी दूर खसरा संख्या 529/287 में से 0.3237 हैक्टयेर भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत, रोहिला के भवन व परिसर निर्माण हेतु अधीनस्थ न्यायालय से वाले–वाले अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से राजनैतिक दवाव वनाकर जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सोनड़ी से नवसृजित ग्राम पंचायत रोहिला का गठन किया गया था। नवसृजित ग्राम पंचायत, रोहिला के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्व में खसरा संख्या 837/347 रकबा 0.4047 हैक्टयेर का आवंटन किया जा चुका है। उक्त आराजी ग्राम पंचायत भवन व परिसर निर्माण हेतु निःशुल्क तुलछाराम, पूनमाराम, जगराम पिसरान सुखराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला द्वारा समर्पण की गई थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.04.2021 के द्वारा पंचायत भवन हेतु आवंटन हो चुकी है। आवंटन आदेश दिनांक 29.04.2021 के विरूद्ध वर्तमान सरपंच द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो बाद में विड्रोल खारिज करवाई गई। जिस पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन पंचायत भवन ग्राम पंचायत रोहिला के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा पूर्व में आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण भी आर सी सी तक पूर्ण किया जाकर राज्य सरकार के लाखों रूपये खर्च किये जा चुके हैं तथा इस बाबत सहायक अभियन्ता एवं लेखाधिकारी पंचायत समिति सेड़वा की जांच रिपोर्ट में भी उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त पंचायत भवन को पूर्ण नहीं करवाया जाता है तो अनुपयोगी व्यय होगा। उक्त निर्माणाधीन पंचायत भवन में आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा पास ही सरकारी पानी का टांका बना हुआ है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत की बीचों बीच पड़ती है तथा ग्राम पंचायत के भवन व परिसर के निर्माण हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। ग्राम पंचायत, रोहिला के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 837/347 जो ग्राम पंचायत रोहिला का ह्रदय स्थल है पर न रखकर बहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने में 1.5 किमी दूर खसरा संख्या 529/287 में से 0.3237 हैक्टयेर भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रोहिला के भवन व परिसर निर्माण हेतु अधीनस्थ न्यायालय से वाले–वाले अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करते वक्त आम जनता के हितों को अनदेखा किया गया। अपीलाधीन आवंटन आदेश वर्तमान सरपंच ने मात्र अपने निजी फायदे के लिये आंवटित करवायी है। अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 03 के दबाव में झूठी कार्यवाही जल्दबाजी में कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2024 को जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटस विचाराधीन आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होने से व इसी ग्राम के मूल निवासी होने से उनका ग्राम पंचायत मुख्यालय से हित जुड़ा हुआ है व उन्हे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति व असुविधा नहीं होगी एवं प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुति की अनुमति दिया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से न्यायोचित व आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRT 2024(1) Page 191, RRT 2022(2) Page 1157

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, रोहिला के भवन निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत के भवन निर्माण का कार्य आर सी सी तक हो गया है। वर्तमान में पंचायत भवन निर्माण हेतु नवीन आवंटन करवाने से राज्य सरकार की राशि का अपव्यय किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत सोनड़ी से नवसृजित ग्राम पंचायत रोहिला का गठन किया गया था। पंचायत पुनःगठन की प्रक्रिया को कहीं चुनौती नहीं दी। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 24.07.2024 को राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1963 के तहत जारी किया गया जिसको कहीं पर चुनौती नहीं दी गई। पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत पंचायत प्रस्ताव को कहीं पर चुनौती/विरोध नहीं किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत 96 सी पी सी पेश किया गया है। लेकिन अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश में हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया गया है उक्त भूमि समस्त सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। वर्तमान में सरपंच अनुचित जाति का सदस्य है। अपीलांटस येन केन प्रकारेण पंचायत भवन निर्माण नहीं करने देने की मंशा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे। उत्तरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–WLC (1993) 1 Page 109, D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 14391/2021, D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 6523/2021, SC J R RAGHUPATI VRS ANDHRA PRADESH STATE

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 24.07.2024 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त जन उपयोगी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन आंवटन आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार, सेड़वा स्वयं के द्वारा अपीलाधीन आराजी को ग्राम पंचायत, रोहिला को आवंटित करने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/2024/430 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा मौजा रोहिला के खसरा संख्या 529/287 प्रस्तावित भूमि व पूर्व में आवंटित भूमि ग्राम रोहिला के खसरा संख्या 837/347 के बीच सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। भूमि कि उपयोगिता के संबंध में निवेदन है कि पूर्व आवंटित भूमि खसरा संख्या 837/347 की मूल ग्राम रोहिला के मुख्यालय आबादी के खसरा संख्या 242 व 191 से लगभग 1.5 किलोमीटर दुर अवस्थित है जबकि वर्तमान में प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 529/287 जो मूल ग्राम रोहिला के मुख्यालय आबादी खसरा संख्या 191 के लगती हुई है। वर्तमान प्रस्तावित भूमि पूर्व में आवंटित भूमि की अपेक्षा ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों के अधिक मध्य में अवस्थित है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार, सेड़वा द्वारा ग्राम पंचायत, रोहिला के भवन एवं परिसर निर्माण हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में आवंटन करने की अनुषंशा की गई है। राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, रोहिला को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 6(25)राज–6/2014/66 दिनांक 07.06.2019 के तहत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में दिनांक 02.08.2024 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दूसरे पक्ष को सुने बिना मामले को अपीलांटगण द्वारा लंबा खींचना विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी यह अभिमत है कि जिला प्रशासन और स्थानीय संस्थायें ही जन सुविधाओं की दृष्टि से उचित निर्णय ले। न्यायालय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन अपीलाधीन आवंटन आदेश या पूर्व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में आवंटित आदेश दोनों में से जो भी जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यदि निश्चित करना चाहते है तो सक्षम है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार संयोजित नहीं है। अपीलांटस का आवंटन आदेश में कोई हित प्रभावित नहीं होता है। इसलिए अपीलांटस हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांटस को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से तथा अनुमति के बिंदु पर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा ने खसरा संख्या 529/287 में रकबा 0.3237 हैक्टयेर भूमि ग्राम पंचायत रोहिला के भवन निर्माण व परिसर निमार्ण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 24.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर